

कोविड-19 की प्रतिक्रिया में सरकारी आदेशकोविड-19 सरकारी आदेश संख्या. 26)

जबकि, कोरोनावायरस 2019 (COVID-19) एक नवीन गंभीर श्वसन संबंधी तीक्ष्ण रोग है जो लोगों में श्वसन द्वारा संक्रमण फैला सकता है और इन्फ्लुएंज़ा जैसे लक्षण उत्पन्न करता है; और,

जबकि, कुछ ही समय में, COVID-19 तेजी से पूरे इलिनॉय में फैल गया है, इसलिए संघीय, राज्य और स्थानीय लोक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा इस संबंध में अद्यतन जानकारी और अधिक सख्त दिशा-निर्देश दिया जाना आवश्यकता हो गया है; और,

जबकि, मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय के राज्यपाल (Governor), ने कोविड-19 के प्रकोप की प्रतिक्रिया में 9 मार्च, 2020 को इलिनॉय राज्य की समस्त काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था (प्रथम राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा) और,

जबकि, मैंने कोविड-19 के विस्फोटक फैलाव की प्रतिक्रिया में 1 अप्रैल, 2020 को पुनः इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया (द्वितीय राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा), और, प्रथम राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा, के साथ, राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाएं; और,

जबकि, कोविड-19 के प्रकोप के समय इसके प्रसार को रोकने या धीमा करने तथा COVID-19 महामारी के दौरान लोक स्वास्थ्य की रक्षा करने हेतु इलिनॉय राज्य के लिए लगातार तत्काल और महत्वपूर्ण उपाय करते रहना आवश्यक और उचित है;

जबकि, सरकारी आदेश 2020-18 द्वारा विस्तारित सरकारी आदेश 2020-10 अनिवार्य करता है कि इलिनॉय के निवासी आवश्यक गतिविधियों, आवश्यक सरकारी कार्यों और आवश्यक व्यवसायों और गतिविधियों के अलावा हमेशा घर पर रहें; और,

जबकि, इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी, परमाणु सुरक्षा विभाग, (Illinois Emergency Management Agency, Division of Nuclear Safety), (IEMA-DNS), 1990 के विकिरण संरक्षण अधिनियम, 420 ILCS 40, और कार्यान्वयन नियम, 32 इलिनॉय प्रशासनिक कोड 405; की धारा 7a में निहित अपने अधिकार के अनुसार औद्योगिक रेडियोग्राफर्स को प्रमाणपत्र जारी करता है; तथा,

जबकि, औद्योगिक रेडियोग्राफर्स को IEMA-DNS से एक औद्योगिक रेडियोग्राफर प्रमाणन जारी होने या नवीनीकरण करने से पहले एक परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है; और,

जबकि, लोक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सामाजिक दूरी के अनुपालन को आवश्यक कर देने के कारण, इन जरूरी परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र बंद कर दिए गए हैं; और,

जबकि, मुझे औद्योगिक रेडियोग्राफी प्रमाणन जारी रखने के लिए अनुमति देना आवश्यक लगता है, जबकि सामाजिक दूरी कायम रखने के उपाय प्रभावशील हैं, क्योंकि औद्योगिक रेडियोग्राफी उद्योगों की कई श्रेणियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें आवश्यक व्यवसाय और गतिविधियाँ माना जाता है, जिनमें शामिल हैं गैस और तेल पाइपलाइन और निर्माण;

अतः, इलिनॉय राज्य के राज्यपाल के रूप में मुझे निहित शक्तियों द्वारा, इलिनॉय आपातकाल प्रबंधन एजेंसी अधिनियम (Illinois Emergency Management Agency Act), 20 ILCS 3305 की धाराओं 7(1), 7(2), 7(8), 7(12) के अनुसार, मैं एतद्वारा निम्नलिखित आदेश देता हूँ:

अनुभाग 1. राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (Gubernatorial Disaster Proclamations) की समयावधि के दौरान 1990 के विकिरण संरक्षण अधिनियम की धारा 7a(a) के प्रावधान और संलग्न 32 III इलिनॉय. प्रशासनिक कोड 405. 100 जो औद्योगिक रेडियोग्राफी प्रमाणपत्रों की वैधता को पांच वर्ष तक और औद्योगिक रेडियोग्राफी प्रशिक्षु प्रमाणपत्रों की वैधता को दो वर्ष तक सीमित रखता है को निलंबित किया जाएगा।

अनुभाग 2. किसी भी औद्योगिक रेडियोग्राफी प्रमाणपत्र या औद्योगिक रेडियोग्राफी प्रशिक्षु प्रमाणपत्र के लिए जो कालातीत हो चुका है या राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं की अवधि के दौरान कालातीत हो जाएगा, IEMA-DNS, औद्योगिक रेडियोग्राफर और औद्योगिक रेडियोग्राफर प्रशिक्षुओं के प्रमाणपत्रों की वर्तमान समयावधि को 90-दिवसों की बढ़ती में प्रशासनिक रूप से विस्तारित कर सकता है, जो प्रारंभिक 5 या 2 वर्ष की अवधि से परे छह महीने की अधिकतम अवधि से अधिक नहीं होगा, ताकि लोगों को परीक्षा के मानदंडों को पूरा करने के लिए समय मिले। औद्योगिक रेडियोग्राफर और औद्योगिक रेडियोग्राफर प्रशिक्षु IEMA-DNS द्वारा निर्धारित अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे

अनुभाग 3. इस सरकारी आदेश की शर्तें उन लोगों पर लागू नहीं होती हैं, जिनके पास राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा से पहले औद्योगिक रेडियोग्राफी के लिए प्रमाणीकरण नहीं था।

अनुभाग 4. यदि इस सरकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर इसके अनुप्रयोग को सक्षम अधिकार-क्षेत्र के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी भी अन्य प्रावधान या इस सरकारी आदेश के अनुप्रयोग को प्रभावित नहीं करती है, जिसे अमान्य प्रावधान या अनुप्रयोग के बिना प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस सरकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया गया है।

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल

(Governor)

राज्यपाल द्वारा 20 अप्रैल, 2020 को जारी

राज्य सचिव (Secretary of State) द्वारा 20 अप्रैल, 2020 को दायर